संoसंo–एम–4–55/2001...10468/विo

(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 27/11/2023

विषयः–राज्य सरकार के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु मोबाईल फोन की अनुमान्यता एवं उसके क्रय के लिए निर्धारित राशि की अधिसीमा में वृद्धि के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3337, दिनांक 02.07.2005 द्वारा राज्य सरकार के सभी सचिवों, सचिव स्तर के पदाधिकारियों तथा सचिव स्तर के उपर के सभी पदाधिकारियों/आरक्षी महानिदेशक/अपर आरक्षी महानिदेशक/आरक्षी महानिरीक्षक/सभी राज्यस्तरीय विभागाध्यक्षों को मोबाईल फोन की अनुमान्यता एवं उसके क्रय हेतु ₹8,000/–तक की अधिसीमा निर्धारित है।

2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक–2585 दिनांक 28.10.2022 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के उपयोग हेतु मोबाईल सेट क्रय की अधिकतम प्रतिपूर्ति हेतु राशि क्रमशः ₹50,000/– एवं ₹25,000/– निर्धारित की गई है।

3. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1745 दिनांक–12.12.2019 द्वारा माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण को मोबाईल फोन हैंडसेट क्रय की अधिसीमा ₹40,000/– निर्धारित की गई है।

4. सरकार के कार्यों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग की अपरिहार्यता एवं वर्ष 2005 में निर्धारित अनुमान्यता के काफी समय बीत जाने के कारण सम्यक विचारोपरांत यह आवश्यकता पायी गई है कि राज्य सरकार के अन्य संवर्ग के पदाधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार कार्यहित में मोबाईल हैंडसेट की अनुमान्यता दी जाय। इस क्रम में यह भी पाया गया कि मोबाईल हैंडसेट के मूल्य में हुई वृद्धि के आलोक में इसके क्रय हेतु निर्धारित राशि की अधिसीमा में भी वृद्धि आवश्यक है।

5. तद्नुसार माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के लिए मोबाईल हैंडसेट क्रय की अधिसीमा ₹60,000/– (साठ हजार) किये जाने के साथ–साथ पदाधिकारियों के मोबाईल हैंडसेट की अनुमान्यता एवं उसके क्रय हेतु राशि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है:–

क्र.	पदाधिकारी/वेतन स्तर	अधिकतम अनुमान्य राशि
I	अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पदाधिकारी, सभी विभागाध्यक्ष ।	₹50,000/– (पचास हजार)
II	वेतन स्तर–12, 13 एवं 14 तक के पदाधिकारी जिन्हें मोबाईल फोन की सुविधा अनुमान्य हो । (क्र.–I में अंकित पदाधिकारियों को छोड़कर)	₹25,000/– (पच्चीस हजार)
III	वेतन स्तर–9 से 11 तक के पदाधिकारी जिन्हें मोबाईल फोन की सुविधा अनुमान्य हो । (क्र.–I में अंकित पदाधिकारियों को छोड़कर)	₹15,000/– (पंद्रह हजार)

Sec-4\S.N.-88